

खंड - VI : प्रस्तावों की जांच

1. पुरस्कार के लिए प्राप्त आवेदनों की अपेक्षित जांच और अंतिम चयन इस उद्देश्य के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त जांच समिति द्वारा किया जाएगा ।
2. जांच समिति में सात सदस्य हैं जो सभी भारतीय राष्ट्रिक होंगे ।
3. इस जांच समिति में अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष होंगे । जांच समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :
 - (i) संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, (पदेन सदस्य);
 - (ii) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, (पदेन सदस्य);
 - (iii) संयुक्त सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सेल, गृह मंत्रालय, (पदेन सदस्य);
 - (iv) संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (पदेन सदस्य);
 - (v) ख्यातिप्राप्त गैर-सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि जो चेतना जगाने और अत्याचार के पीड़ितों को सहायता देने में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों । तथापि, ऐसे गैर-सरकारी संगठन न तो पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे न हीं चयन समिति में सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करेंगे । राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के नामों को सुझाने का अनुरोध किया जाएगा तथा अध्यक्ष को जांच समिति में गैर-सरकारी संगठनों में से कोई दो को शामिल करने की शक्तियां होंगी, जैसा कि उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।
4. जांच समिति के गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी । तीन वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसे नामित सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे । तथापि सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे ।